

अधिसूचना

राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 24 X 7 सेवा को सुचारु संचालन हेतु विभागीय आदेश संख्या 47(5) दिनांक 03.06.2016 एवं 497(3) दिनांक 24.8.2016 के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति पटना स्थित दूरभाषीय अनुश्रवण कोषांग द्वारा चिकित्सा पदाधिकारियों की उपस्थिति का रोस्टवार अनुश्रवण के क्रम में कुल 4 चिकित्सा पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये थे, सभी चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, मगर किसी भी चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर नहीं समर्पित करना, इस बात का द्योतक है कि उन्हें अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है। अतः अनुश्रवण के दौरान अद्योउल्लेखित अनुपस्थित पाये गये चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित लघु दंड अधिरोपित करने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है:-

(क) अनुपस्थित तिथि के वेतन पर रोक। (उक्त तिथि की सेवा पेंशन प्रदायी होगी)

(ख) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

क्र०सं०	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1.	डा० रजनीश रंजन	चिकित्सा पदाधिकारी	सदर अस्पताल नालंदा
2.	डा० रितेश कुमार	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा
3.	डा० पुष्प सुधा	चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल, कहलगाँव, भागलपुर
4.	डा० दयानंद चौपाल	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	अनुमंडलीय अस्पताल, दाउदनगर, औरंगाबाद

उपरोक्त सभी चिकित्सा पदाधिकारियों को दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह० / -

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: 235(9)

/स्वा०, पटना, दिनांक: 20/02/2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नालंदा/भागलपुर/औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन नालंदा/भागलपुर/औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा० के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 1,2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18 (प्र० कोषांग) स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,